रांची में, शुक्रवार दिनांक 03 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

<u>निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–</u>

<u>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग</u>

1.	"चन्द्रवंशी (कहार)" जाति की समजाति 'रवानी' को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गा की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–30 पर दर्ज "चन्द्रवंशी (कहार)" के साथ शामिल करन के संबंध में।	**स्वीकृत।**

<u>गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग</u>

2.	नव स्वीकृत झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारियों को अनुमान्य सुविधायें/ पेंशन इत्यादि के भुगतान संबंधी दिनांक 01.08.2015 के प्रभाव से चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 तक अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रु0 3,06,24,000/– (तीन करोड़ छः लाख चौबीस हजार) मात्र की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

<u>उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग</u>

3.	उत्पाद प्रशासन को सुदृढ़ एवं सशक्त करने हेतु स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) का सेवा प्राप्त करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

<u>उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग</u>

4.	झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटो के Memorandum of Association, Rules & Regulations में संशोधन के संबंध में।	**स्वीकृत।**

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

5.	वार्ड स्तर पर वार्ड के प्रबंधन हतु वार्ड विकास केन्द्र के गठन के संबंध में।	**स्वीकृत।**

<u>उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग</u>

6.	जगन्नाथपुर एवं सिमडेगा पोलिटेकनिक तथा दुमका	**स्वीकृत।**

महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को पूर्व में लिये गये निर्णय में संशोधन करते हुए PPP मोड के स्थान पर सरकारी क्षेत्र में संचालित करने, जामताड़ा, चतरा एवं खूँटी पोलिटेकनिक संस्थानों को सरकारी क्षेत्र के स्थान पर PPP मोड पर संचालित करने एवं पूर्व के निर्णयानुसार उक्त तीन (03) नये संस्थानों (PPP मोड) के लिए JINFRA से ही Transaction Manager का कार्य लिये जाने हेतु स्वीकृति।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

7. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से प्रविभाजित कर प्रस्तावित नवसृजित बिनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के विश्वविद्यालय मुख्यालय के विभिन्न कोटि के अधिकारी स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन के संबंध में। **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

8. डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की कुल 14 नयी परियोजनाओं हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि रु0 1192.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें से रु0 549.71 करोड़ की 06 परियोजनाओं को नाबार्ड से 90% ऋण लेकर एवं 10% राज्य की Equity से क्रियान्वित कराने की स्वीकृति, एवं रु0 643.20 करोड़ की शेष 08 परियोजनाओं को राज्य सरकार से ऋण लेकर क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त 08 योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि रु0 161.00 करोड़ एवं 06 परियोजनाओं के 10% राज्य की Equity की राशि रु0 54.971 करोड़ अर्थात कुल 215.971 करोड़ की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम–2008 की **स्वीकृत।**

धारा–12 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–4677, दिनांक 10.08.2011 द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2011 के नियम–6 में संशोधन करने के संबंध में।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

10. झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पुलिस अवर निरीक्षक एवं आरक्षी की नियुक्ति में तथा सहायक पुलिस को आरक्षी नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के आरक्षी की सीधी नियुक्ति, आरक्षी नियुक्ति नियमावली के आधार पर किये जाने तथा विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में चिकित्सीय जाँच में अपील हेतु Apex Medical Board गठन के लिए विभागीय अधिसूचनाओं में संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर/ उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया) नियमावली–2014 के नियम 3 (6) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

12. मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड के लिए पूर्व से स्वीकृत रोकड़पाल के पद को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा आधारित 01 (एक) कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

13. राज्य योजनान्तर्गत 'मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना' के कार्यान्वयन के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों के आधार कार्ड में अंकित पते को आवासीय प्रमाण–पत्र के रूप में मान्यता देने की स्वीकृति का प्रस्ताव। **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी)

14.	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, रांची के लिए प्रस्तावित प्रतीक चिन्ह (Logo) बनाये जाने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

15.	राज्य स्कीम स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष 2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर, लघुशीर्ष 101–संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष 02–जिला प्रभार के अंतर्गत इकाई 86–वापसी मद में रु0 2,00,00,000 (दो करोड़) मात्र का बजटीय प्रावधान झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

16.	राज्य स्कीम अन्तर्गत एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 शय्यावाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल रु0 4,29,28,91,600/– (चार अरब उन्तीस करोड़ अट्ठाईस लाख इक्यानवे हजार छः सौ) की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

17.	दुमका, हजारीबाग एव पलामू में मेडिकल कॉलेज के अधीन 500 शय्यावाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल रु0 14,75,00,23,400/– (चौदह अरब पचहत्तर करोड़ तेईस हजार चार सौ) मात्र की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

18.	मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची मे कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

19.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, खूँटी की स्थापना हेतु रु0 2,06,54,00,000/– (दो अरब छः करोड़ चौवन लाख) मात्र के योजना प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

ह0/–
(अमित खरे)
विकास आयुक्त,
झारखण्ड